सेवामे,

श्रीमान् निदेशक महोदय (शोध)

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर (राजस्थान)

द्वारा: प्राचार्या महोदया, रा.महा.विद्यालय पुष्कर

विषयः-- संशोधित शोध प्रारूप प्रस्तुत करने के बाबत् मे।

सन्दर्भः क्रमांक एफ--15 / शोध / 12 / 2016 Socioमदसविवि / 25138 दिनांक 20.6.18

महोदया,

समाजशास्त्र विषय मे पी.एच.डी. हेतु संशोधित शोध प्रारूप आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ प्रेषित करते हुए सविनय करता हूँ कि एतदर्थ मेरा पंजीकरण कर शीघ्रतर मुझे सूचित करने की कृपा करे।

भवदीया

Kaushlya Arora

दिनांक 9.7.18

सलंग्न प्रपत्रः

1-Certificate Course Work
2-Appendix IV-A, IV-B, VI
3-संशोधित शोध प्रारूप

Principal
Government College
Pushkar

हस्ताक्षर
प्राचार्या / (विभागाध्यक्ष)

कार्यालय रा.महा.वि. पुष्कर राजस्थान

क्रमांक 191

आवश्यक कार्यवाही हेतु रजिस्ट्रार म.द.स.वि.विद्यालय, अजमेर को प्रेषित।

9.7.18
Lecturer
Government College
हस्ताक्षर

शोध निदेशिका

दिनांक 9.7.18

Principal
Government College

प्राचार्या

राज.महा.वि. पुष्कर

M. D. S. UNIVERSITY AJMER
Receipt No.......
Date 09/07/18

संशोधित प्रस्तावित शोधकार्य की रूपरेखा

''अजमेर जिले के किशनगढ़ मे मार्बल उद्योग के श्रमिको की कार्य–संतुष्टि का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन''

"A sociological Study of Job Satisfaction among labourers working in marble Industries Situated in Kishangarh of Ajmer District"

महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

की

(समाजविज्ञान संकाय के अंतर्गत)

पी.एच.डी. (समाजशास्त्र) शोधोपाधि पंजीयन

के लिए

प्रस्तुत सार–संक्षेप

(सिनॉप्सिस)

2017

Lecturer
Government College
Pushkar

शोध निर्देशिका
डॉ0 ऋतु सारस्वत
व्याख्याता समाजशास्त्र
राजकीय महाविद्यालय, पुष्कर

शोधार्थी
कौशल्या अरोड़ा

Format for outline (Synopsis) of proposed Research Work

1. Name of the Scholar :

   (in English) : Kaushlya Arora

   (in Hindi) : कौशल्या अरोड़ा

2. Title of the Research Work

"अजमेर जिले के किशनगढ मे मार्बल उद्योग के श्रमिको की कार्य–संतुष्टि का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन"

"A sociological Study of Job Satisfaction among labourers working in marble Industries Situated in Kishangarh of Ajmer District"

3. Location- : Kishangarh Marble labour

a Institution/Department where the work is to be done : Department of Sociology Govt. College, Pushkar

b Geographical area of Investigation if any : Kishangarh

4. प्रस्तावित शोधकार्य का परिचय, महत्व एवं उद्वेश्य

राजस्थान का मार्बल उद्योग सदियों पुराना एवं विश्व विख्यात है मार्बल का उपयोग भारत के कई पुरातात्विक स्थलों व स्मारकों जैसे–आगरा का बुलंद दरवाजा, महाराष्ट्र की चारमीनार इत्यादि के निर्माण मे किया गया है। भारत के ही नहीं अपितु विदेशों मे भी जैसे–ब्रिटेन में इस्तांबुल, तुर्की में एंजिया, वेटल्स मेमोरियल वाशिंगटन, इत्यादि के निर्माण में भी उपयोग हुआ है। विदेशों में भी इसकी मांग अत्यधिक है।

राजस्थान की खनिज सम्पदा आर्थिक उपादेय एवं उद्योगों को आधार प्रदान करने में अनुकरणीय एवं सक्षम है। इसलिए राजस्थान राज्य का खनिज भंडारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। खनिज सम्पदा की विविधता की दृष्टि से यहॉ खनन योग्य 67 प्रकार के खनिज उपलब्ध है। इसी कारण राजस्थान राज्य को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्रों में जिप्सम, खड़िया, मिट्टी, टंगस्टन, मार्बल एवं फेल्सपर आदि खनिज प्राचीन समय से निकाले जा रहे है।

वर्तमान समय में मार्बल का उपयोग बहुतायत रूप से किया जाने लगा है। मार्बल भवन निर्माण, घरेलू सामग्री के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तथा साथ ही स्थापत्य कला, वास्तुकला व हस्तकला को भी प्रोत्साहित करता है। देवी–देवताओं की मूर्तियों एवं अनेको सजावटी उत्पादों के निर्माण में भी मार्बल का उपयोग सालो से किया जा रहा है।

अजमेर जिले का किशनगढ क्षेत्र मार्बल उत्पादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान मे किशनगढ मार्बल मंडी का रूप धारण कर चुका है। जिसकी मांग देश में ही नहीं विदेशो में भी बढती जा रही है।

मार्बल का उत्पादन राजस्थान राज्य में विस्तृत पैमाने पर किंतु अलग–अलग स्थानों पर होता है। इसका प्रमुख एवं सदियों से लगातार मार्बल उत्पादन करने वाला क्षेत्र किशनगढ़ है। अजमेर जिले का यह क्षेत्र सफेद, गुलाबी के अलावा हरा, काला, कटनी व ग्रेनाइट इत्यादि प्रकार के मार्बल का उत्पादन विशाल स्तर पर करता है। यहा मार्बल की लगभग 2000 इकाईयॉ कार्य कर रही है, जिनमे हजारो की संख्या मे श्रमिक कार्य करने आते है। भारत मे पाये जाने वाले भंडारों का लगभग 95 प्रतिशत राजस्थान में उत्पादित होता है।

अजमेर जिले का किशनगढ शहर मार्बल नगरी के नाम से विख्यात है यह अजमेर से 18 मील उत्तर पश्चिम में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित है। यहां हजारों की संख्या में मार्बल इकाईयों कार्यरत है, जिनमें आर.के. मार्बल प्रमुख रूप से विख्यात इकाई है। जहां हजारों की संख्या में लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मार्बल इकाईयों में कार्यरत है।

वर्तमान युग वैश्वीकरण का युग है इसमें विदेशी उद्योगों एवं स्वदेशी इकाइयों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड रहा है। साथ ही जी0 एस0 टी0 ने भी मार्बल उद्योग पर काफी प्रभाव डाला है। अतः इस उद्योग के सामने न केवल वित्त, आधारभूत सुविधाये, कुप्रबन्ध एवं विपणन का संकट है अपितु आज इनके सम्मुख अस्तित्व का संकट भी उपस्थित हो गया है। मार्बल उद्योग की लगभग सभी इकाईयाँ निजी क्षेत्र में कार्यरत है इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। अतः वर्तमान में नोटबन्दी व जी0एस0टी की मार झेल रहे मार्बल उद्योगों की समस्याओं का विश्लेषणात्मक व्यवहारिक अध्ययन आवश्यक हो गया है।

प्रस्तावित शोधकार्य का महत्व

मार्बल उद्योग में श्रम एवं प्रबन्ध दोनों में सम्बन्ध एक प्रकार का संगठनात्मक व्यवहार है जहां औद्योगिक संबन्धों का प्रबन्ध श्रमिक ओर प्रबन्ध का स्वार्थ एक दूसरे को करीब लाता है, ओर एक संगठनात्मक संस्कृति का निर्माण करता है, जहां संघर्षो का अधिकतम सुलझाव होता है। श्रमिक और प्रबन्धन दोनों के स्वार्थो की अधिकतम सीमा तक पूर्ति होती है।

भारत देश के राजस्थान राज्य में मार्बल उद्योगों में लाखों की संख्या में श्रमिक कार्य करते है, और श्रमिकों की कार्यकुशलता व कार्यक्षमता में कमी का मुख्य कारण श्रमिकों व पूंजीपतियों के मध्य दोषपूर्ण संबन्धों का होना है। साथ ही साथ प्रबन्धकों द्वारा श्रमिको के जीवन स्तर मे सुधार के लिए श्रम कल्याण कार्यो पर भी विशेष ध्यान नही दिया जा रहा है। राजस्थान में मार्बल उद्योग के अन्तर्गत श्रमिक एक यंत्र बनता जा रहा है, जिसे उत्पादन का एक साधन माना जाता है। औद्योगिक प्रणाली श्रम निवेश के बिना संभव नही है और यह श्रम निवेश करने वालो को निरन्तर अवहेलना का शिकार होना पडता है, जिसके फलस्वरूप प्रबन्धक व श्रमिक के बीच संघर्ष होता रहता है इसका सीधा असर उत्पादन पर पडता है।

वर्तमान में मार्बल उद्योग को बढावा देने के लिए कार्यस्थल पर नियोक्ता एवं कार्य समूह के बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए गए है, साथ ही श्रम दशाओं एवं श्रम कल्याण को बढावा देने के लिए सरकार द्वारा भी कई प्रावधान किए गए है।

सामान्यतः यह स्वाभाविक जिज्ञासा समाजशास्त्र के लिए किसी भी शोधार्थी के रूप में उठती है कि राजस्थान के किशनगढ शहर का मार्बल उद्योग जो कि रीढ की हड्डी माना जाता है। वहां प्रबन्धकों द्वारा श्रम कल्याण की सभी सुविधाऐं श्रमिकों को प्रदान की गई है या नही अभी भी उनमें सुधार की आवश्यकता है ।

प्रचीन समय से ही किशनगढ क्षैत्र में मार्बल उद्योगों मे श्रमिको द्वारा कार्य किया जा रहा है। अधिकांश श्रमिक आस–पास के ग्रामीण क्षैत्रों के रहने वाले है इनमें श्रमिक महिलायें व बच्चे कार्यरत है। श्रमिकों में अधिकारियों लिपिकों व सुपर वाइजरों को सम्मिलित नही किया गया है। इनमें अधिकांश श्रमिक अप्रशिक्षित है जिसका सीधा प्रभाव उद्योग की गुणवता पर पडता है।

उद्योगों की समृद्धि श्रमिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है, क्योंकि स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। श्रमिकों के स्वास्थ्य कार्यक्षमता एवं उनकी उत्पादकता कार्यवातावरण अर्थात् श्रमिक जिन दशाओं में कार्य करता है, उस पर निर्भर करती है। कार्य दशाओं का अनुकूल होना श्रमिकों की कार्य संतुष्टि एवं मनोबल में वृद्धि करता है, इससे थकान चिडचिडेपन में कमी आती है और वह एकाग्रचित होकर कार्य कर सकता है, इससे दुर्घटनाओं में कमी आती है।

भारत के संविधान में भी सामान्य वर्ग के साथ–साथ श्रमिक वर्ग के कल्याण की बात कही गई तथा श्रमिकों के लिए न्यासगंत व मानवीय कार्य की दशाओं पर बल दिया गया है, ताकि श्रमिकों का शारीरिक बौद्विक, नैतिक एवं आर्थिक कल्याण हो सके। उपर्युक्त सभी का समाजशास्त्रीय वस्तुनिष्ठपरक शोध आवश्यक है। प्रस्तावित शोध ''मार्बल उद्योग मे कार्यरत श्रमिको की कार्यदशाओं एवं सुरक्षा योजनाओं'' मे होने वाले परिवर्तनों को प्रकाश मे लाना है। अतः प्रबन्ध द्वारा प्रदान की गई कार्य दशओं एवं सुरक्षा योजनाओं का विवेचन करना आवश्यक है। प्रस्तावित शोध का महत्व व प्रासंगिता निम्नानुसार हैः–

1. अध्ययन की सार्थकता

औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मानव रूपी कच्चे माल के विकास पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। श्रमिकों के लिए प्रदत्त श्रम कल्याण की सुविधाओं को सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी परिवर्तनो के अनुसार होना चाहिए। कोई भी नियोक्ता यदि वास्तव में उत्पादकता वृद्वि के साथ औद्योगिक शांति भी चाहता है तो उसे उत्पादन के अन्य साधनों की भांति श्रम कल्याण पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रस्तावित अध्ययन में नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई कार्य दशाओं एवं सुरक्षा योजनाओं का सरकार द्वारा प्रदान की गई योजनाओं से तुलनात्मक अध्ययन को आलोक (प्रकाश) में लाना है।

2. अध्ययन की सामाजिक उपादेयता

समकालीन समाजों में श्रम कल्याण का प्रत्यय परिवर्तन शील प्रत्यय है। अतः श्रम कल्याण के अन्तर्गत उन समस्त प्रावधानों को समावेश होना चाहिए, जो श्रमिको के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु आवश्यक है। श्रमिकों को समयानुसार अभिप्रेरणा दी जाये तो वह विदेशी मुद्रा अर्जन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका एवं निर्वाह कर सकते है। प्रस्तावित अध्ययन में इसी को आधार मानकर परिवर्तन के इस काल मे प्रबधक व श्रमिको के संबधों, कार्य की दशाओं एवं सुरक्षा योजनाओं के अध्ययन पर मुख्य रूप से दृष्टिपात किया गया है।

3. सैद्वांतिक योगदान

प्रस्तावित अध्ययन मार्बल उद्योग के अन्तर्गत कार्यरत श्रमिकों की वर्तमान कार्य दशाओं एवं सुरक्षा योजनाओं पर आधारित है।

औद्यौगिक संबन्धों को आज "एम्प्लॉयमेंट रिलेशन्स" कहा जाता है इसे केवल कर्मचारियों के उच्च वेतन या मजदूरी तथा नियोक्ता के लाभ की दृष्टि से ही नही देखा जाता वरन उसे मानव संबन्धों के प्रबध व श्रम कल्याण दोनो एकीकृत मानवीय संसाधन प्रंबंध के रूप में देखा जाता है और प्रबन्ध से यह आशा की जाती हैं कि कर्मचारियों के प्रति प्रोएक्टिव हो श्रमिकों में ऐसी योग्यता एवं प्रतिबद्वता का विकास करे कि वे संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना अधिकतम योगदान दे सके प्रस्तावित शोध कार्य श्रम कल्याण योजनाओं का कियान्वयन किशनगढ क्षैत्र के मार्बल श्रमिकों के संदर्भ मे कतिपय निश्चित निष्कर्ष के

आधार पर एक महत्वपूर्ण तथा सार्थक शौध अध्ययन हो सकेगा जिसकी विषयगत उपादेयता व अकादमिक महत्व होगा। प्रस्तावित शोध कार्य के आधारभूत उद्वेंश्य निम्नानुसार हैः–

1. कार्य की दशाओं का अध्ययन करना।
2. श्रम–प्रबन्ध के मध्य औद्योगिक संबन्धों को ज्ञात करना।
3. श्रमिको की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी कार्यो का अध्ययन करना।
4. मजदूरी एवं मजदूरी भुगतान संबन्धी व्यवस्थाओं का अध्ययन करना।
5. सामाजिक सुरक्षा में मात्त्व लाभ, कर्मचारी भविष्य निधि, क्षतिपूर्ति भुगतान, कर्मचारी राज्य बीमा बोनस योजना आदि का उद्योग व परिणाम के सन्दर्भ में अध्ययन।
6. औद्योगिक विवादों के कारणों व परिणामों का अध्ययन करना।

5. <u>उपलब्ध साहित्य का पुनरावलोकन</u>

1. पाण्डेय, बालेश्वर (2014) प्रस्तुत पुस्तक ''श्रम कल्याण एवं औद्योगिक संबंधों'' एवं उनमें होने वाले परिवर्तनो के परिपेक्ष्य में कानूनी प्रावधानों के महत्व एवं उपादेयता पर प्रकाश डाला गया है।
2. सिन्हा वी सी सिन्हा पुष्पा (2005) ने अपने संदर्भ ग्रन्थ ''श्रम अर्थशास्त्र'' में श्रम की प्रकृति एवं समस्याएं भारत में श्रम शक्ति, अनुपस्थितता व श्रम परिवर्तन की समस्या, श्रमिकों का जीवन स्तर एवं उनकी कार्यकुशलता, औद्यौगिक श्रम की भर्ती, कार्य की दशाएं एवं कार्य के घंटें, श्रम और उत्पादकता, मजदूरी एवं भुगतान की रीतियों, भारत में श्रम कल्याण, भारत में सामाजिक सुरक्षा, भारत में श्रम सन्नियम तथा बाल एवं महिला श्रम के बारे में बताया गया है।
3. डॉ आर. एल. जोधावत, डॉ0 टी.के. पाण्ड्या एवं डॉ0 एम. के. पाण्ड्या (2005) ने अपने लेख Marble deposits of Rajnagar kelwa Belt – "A Critcal Apprsal and present Status of the marble industry of Rajasthan".मे मार्बल का परिचय, मार्बल की भौगोलिक स्थिति, मार्बल की विशेषताएँ, मार्बल उद्योग की समस्याएं, मार्बल उद्योग की वर्तमान स्थिति और इसका विकास तथा सफेद मार्बल के निर्यात की संभावनाओं के विवेचित किया गया है।

4. मिश्रा एम एन, (2002) ने अपने संदर्भ ग्रन्थ ''श्रम और औद्योगिक विधि'' में कानून द्वारा श्रमिकों को प्राप्त होने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और कानून द्वारा श्रमिकों के लिए किये जाने वाले श्रम कल्याण कार्यो के बारे में बताया है।
5. श्री गगन गोयल, (2002) ने अपने शोध प्रबन्ध ''Critical Appraisal of the working of marble Industry in Rajasthan" में संगमरमर उद्योग के कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण किया है एवं इस उद्योग की समस्याओं को विभिन्न दृष्किोणों से विवेचित किया है।
6. श्रीमति सीमा चौहान, (1999) मे अपने शौध प्रबंधं ''A Locational Analysis of Granite and processing Industry in Rajasthan" में राजस्थान के ग्रेनाइट व संगमरमर उद्योंग के स्थानीकरण को विश्लेषणात्मक ढंग से स्पष्ट करते हुए इस उद्योग की स्थिति को संतोष जनक बताया।
7. सिंह दिलीप कुमार (1999) ''श्रमिक सहभागिता एवं औद्योगिक संबध'' पर आधारित पुस्तक है। पुस्तक में कार्य की दशाओं के सापेक्ष प्रबन्ध में श्रमिक की सहभागिता का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।
8. सक्सेना, एस.सी. (1999) ने अपने संदर्भ ग्रन्थ ''श्रम समस्या एवं सामाजिक सुरक्षा'' में श्रमिकों को उद्योगों में होने वाली समस्याओं, प्रबन्ध में श्रमिक की सहभागिता का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।
9. रमा पाण्ड्ेय (1995) ''रेल वार्डो में कार्यरत श्रमिकों की कार्य संतुष्टि'' इन्होनें अपने अध्ययन में विश्लेषण के माध्यम से स्पष्ट किया है कि ओद्योगिक केन्द्रो पर कार्यरत श्रमिकों की कार्य संतुष्टि सकारात्मक औद्यौगिक समाज की परिचायक है।
10. मुखर्जी, रविन्द्रनाथ (1983) ने अपने संदर्भ ग्रन्थ ''श्रम समस्या एवं सामाजिक सुरक्षा'' में श्रमिकों को उद्योगों में प्राप्त होने वाली समस्याओं तथा उद्योगो में दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में बतया गया है।
11. पाण्डेय बालेश्वर (1975) प्रथम संस्करण भारत में ''श्रम कल्याण एवं औद्योगिक संबंध'' प्रस्तुत पुस्तक भारत में श्रम कल्याण पर आधारित है इसमें कार्मिक प्रबन्ध एवं औद्योगिक संबधी कार्यो का भी श्रम कल्याण के अन्तर्गत समावेश किया गया है।

6. प्रस्तावित शोधकार्य व इस दिशा में किए गए शोधकार्यो का अंतरः–

प्रस्तावित शोधकार्य "अजमेर जिले के किशनगढ क्षेत्र के मार्बल श्रमिकों की कार्य संतुष्ठि" का अध्ययन से जुड़े पूर्व में किए गए शोधकार्यो का पुनरावलोकन करने के पश्चात् कुछ ऐसे निष्कर्ष सामने आते है, जिनमे पूर्व में हुए शोधकार्यो एवं प्रस्तावित शोधकार्य में अंतर प्रतीत होता है।

यद्यपि सभी उपलब्ध साहित्य अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है तथापि वर्तमान वैश्वीकरण एवं निजीकरण के इस परिवेश में मार्बल उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की कार्य दशाओं, कार्य संतुष्टि व कल्याण योजनाओं के अध्ययन की भावी संभावनाये है।

अतः प्रस्तुत शोध प्रस्ताव में मार्बल इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों की उत्पादन प्रक्रिया, कार्य–दशाऐं, कार्य घंटे, उपयुक्त वातावरण से संबधित पाई जाने वाली कमियों को चिह्ति करके अध्ययन करने का प्रयास किया जायेगा।

7. प्रमुख उपकल्पनायेंः–

किसी भी समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है तथा इस हेतु वैज्ञानिक पद्वति का अनुसरण किया जाता है।

विद्यमान साहित्य पर एक दृष्टि प्रेरित प्रदर्शित करती है कि यह सापेक्षित रूप से एक नवीन क्षेत्र है जिसे बहुत विस्तार से खोजे जाने की आवश्यकता है। अतः "मार्बल उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की कार्य संतुष्टि व कल्याण योजनाओं" के बारे में अध्ययन हेतु प्रमुख शोध प्रश्न हैः–

1. प्रबन्धकों एवं श्रमिकों के दृष्टिकोण में सकारात्मक सहसंबंध पाया जाता है।
2. श्रमिकों की प्रंबध में सहभागिता से संतुष्टि औद्योगिक संबंधों को पुष्ट करती है।
3. अच्छी कार्य की दशाऍ औद्योगिक संबंधों को स्थायित्व प्रदान करती है।

8. शोध पद्वति

प्रस्तावित शोध कार्य का मुख्य उद्वेश्य "मार्बल उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की कार्य संतुष्टि" विषय का सम्यक अनुशीलन कर उस पक्ष का मूल्यांकन करना हैं। जिसमें श्रम एवं प्रबंध जो कि एक ही गाडी के दो पहिये है, की समकालीन प्रवृतियों को जानना है इस हेतु प्रस्तावित शौधकार्य की अध्ययन पद्वति, अध्ययन क्षैत्र एवं अध्ययन इकाईयों का प्रतियचन निम्नानुसार किया जायेगाः–

अध्ययन क्षेत्र एवं इकाइयों का निर्धारण

प्रस्तावित शौध कार्य का अध्ययन क्षेत्र अजमेर जिले का किशनगढ क्षेत्र है जिसे मार्बल नगरी भी कहा जाता है। प्रस्तावित अध्ययन में मार्बल क्षेत्र के आस–पास ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले श्रमिकों का अध्ययन किया जायेगा। साथ ही साथ सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए कार्य दशाओं एवं सुरक्षा योजनाओं के लिए जो व्यवस्थाएं की है, वह मार्बल उद्योगों में कहां तक लागू हुई है।

उत्तदाताओं का चयन मार्बल उद्योग में कार्यरत श्रमिकों में से किया जायेगा इस हेतु 15 बडी पंजीकृत इकाइयों का चयन किया जायेगा। तत्पश्चात इन इकाईयों से लगभग 200 श्रमिकों का चयन निदर्शन विधि से किया जायेगा। प्रश्नावली, अनुसूची एवं साक्षात्कार के माध्यम से श्रमिकों को उपलब्ध करवायी गई कार्य दशाओं एवं सुरक्षा/कल्याण योजनाओं का अध्ययन किया जायेगा।

अध्ययन प्रविधियाँः–

प्रस्तावित शोधकार्य में तथ्य संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों का उपयोग किया जायगा। अतः अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के समंकों का संकलन किया जायेगा।

1. प्राथमिक संमकों का संलकन करने हेतु मार्बल उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों का अनुसूची, औरपचारिक व अनौपचारिक साक्षात्कार एवं सतत अवलोकन किया जायेगा।
2. द्वितीय संमकों के रूप में लिखित, प्रकाशित एवं अप्रकाशित शौध ग्रन्थो, समाचार पत्रों, पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, शौध प्रेरक लेखो संवैधानिक प्रावाधानों आदि से अध्ययन सामग्री को एकत्रित किया जाना है। प्रस्तावित शौधकार्य ''अजमेर जिले के किशनगढ मार्बल उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की कार्य संतुष्टि'' का समाजशास्त्रीय विश्लेषण विषय के मुख्य उदेश्य को ध्यान में रखते हुए कार्ड–इंडेक्स पद्वति का अनुकरण करना ही समीचीन होगा।

   इस पद्वति में शोधकर्ता द्वारा जितना संभव हों अधिकाधिक संदर्भ संकलित किये जाते है, उन्हें एक–साथ तर्क सम्मत क्रम में आयोजित करके उनके आधार पर उन्हें समन्वित कर एक चिंतन प्रसूत शोध के रूप में विकसित किया जाता है। इस कार्य में मूल तथ्यों के आवश्यक व उपयुक्त संमक विश्लेषण की संख्यिकी पद्वति का भी उपयोग किया जायेगा।

''अजमेर जिले के किशनगढ मे मार्बल उद्योग के श्रमिको की कार्य–संतुष्टि का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन''

"A sociological Study of Job Satisfaction among labourers working in marble Industries Situated in Kishangarh of Ajmer District"

अध्याय–विन्यास

1. अध्याय प्रथम–प्रस्तावना, अध्ययन का औचित्य, अध्ययन पद्वति।
2. अध्याय द्वितीय–मार्बल उद्योग में श्रम शक्ति प्रबंधन।
3. अध्याय तृतीय–सामाजिक सुरक्षा संबंधी विधिक प्रावधान।
4. अध्याय चतुर्थ–मार्बल उद्योग में कार्य की दशाएँ।
5. अध्याय पंचम–मार्बल उद्योग में श्रम सुरक्षा योजनाएँ।
6. अध्याय षष्टम्–मार्बल उद्योग में श्रम कल्याण व्यवस्थाएँ।
7. अध्याय सप्तम्–शोध निष्कर्ष एवं सुझाव।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. पाण्डेय, बालेश्वर– "श्रम कल्याण एवं औद्योगिक संबंध" रावत पब्लिकेशन जयपुर, 2014
2. दवे, डॉ0 रमन कुमार– "वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था" आर.बी.एस. ए. पब्लिशर्स जयपुर, 2005
3. सक्सेना, डॉ0 एस.सी.– "श्रम समस्याएँ एवं सामाजिक सुरक्षा" रस्तोगी, पब्लिकेशन, मेरठ, 2001
4. जैन, बी.एम.– "शोध प्रविधि एवं क्षैत्रीय तकनीक", जयपुर रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर, 2000
5. मिश्रा, एस.एन.– "श्रम एवं औद्योगिक विधि इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन इलाहाबाद, 2000
6. अग्रवाल, रमेश चन्द्र और–"श्रम सन्नियम एवं सामाजिक सुरक्षा श्री पब्लिकेशन कोठारी एन.एस. अलवर, 1995
7. वर्मा, रायबहादुर सिंह,– "औद्योगिक अधीक्षण", उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी एवं सिंह रामकिशोर लखनऊ, 1976
8. अग्रवाल, आर.डी.– "डाइनामिक्स ऑफ लेबर रेलेशंस इन इंडिया" ए बुक ऑफ रीडिंगस टाटा मैकग्रहिल बुक कंपनी 1974
9. बैद, के.एन.– "लेबर वेलफेयर इन इंडिया", श्री राम सेंटर फॉर इडस्ट्रियल रिलेशंस न्यू देहली, 1970
10. मेहरोत्रा, जी.एन.– "इंडस्ट्रियल रिलेशन इन चेंजिंग इंडिया", जय प्रकाशनाथ एण्ड कंपनी मेरठ, 1970
11. अग्निहोत्री, विद्याधर– "इण्डस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया" आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली, 1970
12. कमेटी ऑफ लेबर वेल्फेयर,– 1969

Arora, M. - Industrial Relations, Excel Books: New Delhi 2005

Bhattachariyya, D.K. - Human Resource Planning, Excel Books : New Delhi, 2005

Ashwathappa, K. - Human Resource and Personnel Management, Tata McGraw- Hill Publishing Company Ltd. New Delhi, 2004

Bhatia, S.K. - Constructive Industrial Relations and Labour Laws, Deep & Deep Publication New Delhi, 1985

Vikram, K. - Stone Industry in India, Stone Technology Centre: Jaipur, 1984

Chopra, D.S. - The factories Act, 1948, Easterm Law House : Calcutta, 1975

Choudhuri, M.A. - Social Security in India and Britain, The World Press: Calcutta, 1966

Young, P.V. - Scientific Social Survey and Research, Prentice hall, Inc. : New York, 1966

Outline Approved

Signature of the Supervisor with date

Signature of the Candidate with date

शोध निर्देशिका
डॉ0 ऋतु सारस्वत
व्याख्याता समाजशास्त्र
राजकीय महाविद्यालय, पुष्कर

शोधार्थी
कौशल्या अरोड़ा

APPENDIX - IV-A

Format for Outline (Synopsis) of Proposed Research work

(to be supplied in Four copies)

(Reference Ord. 124.11)

1. Nameof Scholar (In English) KAUSHLYA ARORA

   (In Hindi) कौशल्या अरोड़ा

2. Title of the Research Work : "

   (In English) A Sociological Study of Job Satisfaction among Labourers working in marble Industries situated in Kishangarh of Ajmer District"

   (In Hindi) "अजमेर जिले के किशनगढ़ में मार्बल उद्योग के श्रमिकों की कार्य-संतुष्टि का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन"

3. Location

   a. Institution/Department where the work is to be done Govt. College, Pushkar

   b. Geographical area of Investigation, if any. Kishangarh

4. Introduction Importance of Proposed Investigation, Objective.

5. Review (Work already done on the subject of proposed Research Study.)

6. Research Gaps identified in the proposed field of investigation. (Based onthe review)

7. Major Hypothesis, if any

8. Research methodology.

9. List of references cited.

Kaushlya Arora
9.7.18
Signature of the Candidate with date

Outline Approved [signature] 9/7/18
Lecturer
Government College
Pushkar

Name and Signature of supervisor with date & seal.

9

APPENDIX - IV-B

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

शोध पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

(Reference Ord. 124 II)

प्रेषक — शोध अनुभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

प्रेषक — राजकीय महाविद्यालय पुष्कर, अजमेर

विषय — शोध पंजीयन हेतु आवेदन।

महोदय / महोदया

विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि विश्वविद्यालय के परिपत्र क्रमांक एफ–15 / शोध / मदसवि / 25133 दिनांक 20.6.18 में वर्णित सूचना के अनुसार मैंने निर्धारित कोर्स वर्क सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है और इस परिपत्र के बिन्दु संख्या–1 में दिये गये निर्देशों के अनुसार शोध पंजीयन हेतु यह आवेदन निम्नांकित वांछनीयता पूरी करते हुए प्रस्तुत कर रहा हूं/रही हूं :–

1. मुझे आवंटित शोध पर्यवेक्षक डॉ. ऋतु सारस्वत हैं उन्होंने यह आवेदन पत्र मय दस्तावेज अग्रेषित कर दिया है।
2. आवेदन शुल्क राशि रू.500/– का डी.डी. नं. .... दिनांक .... (कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के नाम)
3. अध्यादेश 124 II में निर्धारित परिशिष्ठ–IV के अनुसार Format for outline of Proposed Research Work (6 प्रतियां) में वांछित शोध पर्यवेक्षक के प्रमाण पत्र, (परिशिष्ठ– VI) के साथ संलग्न है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया इस आवेदन पत्र को संलग्न दस्तावेजों के साथ निदेशक शोध, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर को शोध पंजीयन की कार्यवाही हेतु अग्रेषित करावें।

मुझे ज्ञात है कि शोध पंजीयन से शोधोपाधि प्राप्त होने की अवधि में मैं अन्य कोई उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सकता/सकती। यदि इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय से कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट (नियमित/पार्ट टाईम/दूरस्थ शिक्षा) इस अवधि में करना चाहूंगा/चाहूंगी तो वह मैं तब ही करूंगा/करूंगी जब मुझे मेरे शोध पर्यवेक्षक यह प्रमाण पत्र दे देंगे कि इस पाठ्यक्रम को करने से शोध कार्य बाधित नहीं होगा।

संलग्न– उपर्युक्त

प्रार्थी,

दिनांक 9.7.18

हस्ताक्षर Kaushlya Arora

पूरा नाम एवं पता 17/17 श्याम कॉलोनी गोवर्धनपुरा रोड, पुष्कर

टेलीफोन/मोबाईल नं० 9928674223

आवंटित सेवारत शोध पर्यवेक्षक की अग्रेषण टिप्पणी

मैं, डॉ० ऋतु सारस्वत इस विश्वविद्यालय का पंजीकृत शोध पर्यवेक्षक हूं। वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय पुष्कर में कार्यरत हूं। मेरी सेवानिवृत्ति की दिनांक 28.2.33 है। शोध पंजीयन हेतु उक्त आवेदन पत्र मय संलग्न दस्तावेज निदेशक, शोध, म.द.स. विश्वविद्यालय को कृपया अग्रेषित कराएं।

दिनांक : 9.7.18

हस्ताक्षर [signature] 9/7/18

Lecturer, Government Colle, Pushkar

MAHARASHI DAYANAND SARASWATI UNIVERSITY

AJMER

Certificate by Supervisor

Certified That:

1. I am willing to guide the Research work of **Mrs. Kaushlya Arora** on the above Subject if he registered for Ph.D.
2. To the best of my Knowledge, the Subject selected has not been studied and is not being studies so far in any University.
3. The Subject is of Sufficient Scope to Keep the Candidate engaged for two Years.
4. The Subject will lead to a Valuable Contribution. I have seen and approved proposed research work submitted by the candidate.
5. I have ....08.... (give numbers) Research Candidates registered Under my Supervision and the Serial number of this Candidate whose application is being forwarded for registration is ....35...... (give the serial number).
6. The candidate in a close relation (the tem of close relation is defined in the examination ordinance of the University.)

9/7/18

Lecturer
Government College
Pushkar

Signature of the Supervisor with date

Certified that the available facilities will be extended to Mrs. Kaushlya Arora for the research work if he/she is registered for Ph.D.

Principal
Government College
Pushkar

Signature of the Principal Director the Institution with date

Signature of the Head Department with date